अध्याय – I
विहंगावलोकन

अध्याय–I: विहंगावलोकन

1.1 इस प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) के इस प्रतिवेदन में मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र से संबंधित लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग पर निष्पादन लेखापरीक्षा एवं विभिन्न विभागों के लेन–देनों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उद्भूत प्रकरण शामिल हैं।

इस प्रतिवेदन का मूलभूत उद्देश्य लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों को राज्य विधान सभा के संज्ञान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई करने, उचित नीतियों को तैयार करने के साथ–साथ निर्देश जारी करने में सक्षम बनाना अपेक्षित है जो संगठनों के बेहतर वित्तीय प्रबंधन को बढ़ावा देगा और बेहतर प्रशासन में योगदान देगा।

यह अध्याय लेखापरीक्षा की योजना एवं क्षेत्र, लेन–देनों की लेखापरीक्षा के दौरान लिये गये लेखापरीक्षा निष्कर्षों/प्रेक्षणों पर विभागों एवं शासन की प्रतिक्रिया तथा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्यवाही को वर्णित करता है।

1.2 सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र की रूपरेखा

मध्य प्रदेश शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 34 विभागों के द्वारा तीन वर्ष की अवधि 2016–17 से 2018–19 के दौरान किये गये व्यय का सारांश नीचे दिया गया है:

तालिका–1.1

(₹ करोड़ में)

स.क्र.	विभाग का नाम	2016–17	2017–18	2018–19
अ	**सामान्य क्षेत्र**			
1.	वित्त विभाग	8,973.52	9,654.14	12,280.90
2.	गृह विभाग	5,285.18	5,888.01	6,840.54
3.	राजस्व विभाग	4,980.98	3,932.00	3,980.89
4.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग	791.96	972.86	1,358.61
5.	सामान्य प्रशासन विभाग	473.39	593.49	579.39
6.	जन संपर्क विभाग	382.49	382.94	418.82
7.	जेल विभाग	303.48	292.75	328.54
8.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग	94.31	253.13	228.95
9.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	222.37	211.53	175.73
10.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग	85.56	96.03	102.83
11.	संसदीय कार्य (राज्य विधान सभा) विभाग	69.46	87.13	83.98
12.	लोक सेवा प्रबंधन विभाग	53.26	47.67	46.96
13.	प्रवासी भारतीय विभाग	0	0	0.39
योग (अ)		**21,715.96**	**22,411.68**	**26,426.53**

स.क्र.	विभाग का नाम	2016–17	2017–18	2018–19
ब	**सामाजिक क्षेत्र**			
1.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	27,063.69	31,654.94	30,916.50
2.	नगरीय विकास एवं आवास विभाग	11,087.57	12,675.20	13,619.99
3.	स्कूल शिक्षा विभाग	9,720.38	10,563.75	11,270.77
4.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	3,492.55	5,236.41	5,093.04
5.	महिला एवं बाल विकास विभाग	2,704.63	3,831.64	4,222.96
6.	जनजातीय कार्य विभाग	4029.25	3,677.81	3,903.72
7.	लोक स्वास्थ्य याँत्रिकी विभाग	910.71	2,323.67	2,530.04
8.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	794.12	1,629.79	1,968.02
9.	उच्च शिक्षा विभाग	1,749.26	1,709.44	1,963.58
10.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1,908.85	1,576.76	1,309.53
11.	तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग	567.42	901.62	1,064.35
12.	अनुसूचित जाति कल्याण विभाग	77.54	1,083.70	976.59
13.	श्रम विभाग	148.03	165.28	974.97
14.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	782.50	824.88	840.84
15.	सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग	189.18	442.99	501.09
16.	आयुष विभाग	327.26	351.47	429.42
17.	संस्कृति विभाग	178.22	278.98	230.07
18.	अध्यात्म विभाग	141.29	220.91	192.50
19.	खेल एवं युवा कल्याण विभाग	101.48	174.59	171.19
20.	पर्यावरण[1] विभाग	0	0	54.74
21.	विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्द्ध घुमक्कड़ जाति कल्याण विभाग	10.25	19.56	15.87
योग (ब)		**65,984.18**	**79,343.39**	**82,249.78**
महायोग (अ+ब)		**87,700.14**	**1,01,755.07**	**1,08,676.31**

स्रोतः संबंधित वर्षों के लिये मध्य प्रदेश शासन के विनियोग लेखे

[1] वर्ष 2017–18 तक, पर्यावरण विभाग, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग में सम्मिलित था।

1.3 प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम) का कार्यालय

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की ओर से प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश के कार्यालय द्वारा मध्य प्रदेश शासन के 53 विभागों में से सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 34 विभागों के साथ–साथ 21 सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों एवं 55 स्वायत्त निकायों की लेखापरीक्षा की जाती है।

प्रधान महालेखाकार का कार्यालय

1.4 लेखापरीक्षा का प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 से 151 सहपठित नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा शर्तें), अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. अधिनियम) से नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का लेखापरीक्षा का प्राधिकार उद्भूत है। नियंत्रक–महालेखापरीक्षक डी.पी.सी. अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधानों के आधार पर शासन के सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र के विभागों की लेखापरीक्षा करता है:

- व्यय की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 13[2] के अन्तर्गत की जाती है;
- सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(1)[3] के अन्तर्गत की जाती है;
- ***स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 19(2)[4] एवं 20(1)[5] के अन्तर्गत की जाती है;
- ***स्थानीय निकायों*** की लेखापरीक्षा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 20(1) के अन्तर्गत की जाती है;
- इसके अतिरिक्त, नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा डी.पी.सी. अधिनियम की धारा 14[6] के अन्तर्गत शासन द्वारा पर्याप्त वित्त पोषित ***अन्य स्वायत्त निकायों*** की लेखापरीक्षा भी की जाती है।

विभिन्न लेखापरीक्षाओं के लिये सिद्धान्त एवं कार्यप्रणाली नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा अथवा उनकी ओर से जारी लेखापरीक्षा मानक तथा लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम सहित अन्य दिशानिर्देशों, नियमावली एवं निर्देशों में निर्धारित हैं।

---

[2] (i) राज्य की संचित निधि से सभी लेन–देन (ii) आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा से संबंधित सभी लेन–देन तथा (iii) राज्य के किसी भी विभाग में रखे गये सभी व्यवसाय, विनिर्माण, लाभ और हानि लेखा, तुलना–पत्रों और अन्य सहायक लेखाओं की लेखापरीक्षा।

[3] सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 के उपबंधों के अनुसार की जाती है।

[4] राज्य विधान सभा द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों (जो कंपनियां न हों) के लेखाओं की संबंधित विधान के उपबंधों के अनुसार लेखापरीक्षा।

[5] राज्यपाल के अनुरोध पर, किसी निकाय अथवा प्राधिकरण के लेखाओं की ऐसे निबंधनों एवं शर्तों पर जिन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक एवं शासन सहमत हों की लेखापरीक्षा।

[6] (i) राज्य की संचित निधि से अनुदानों अथवा ऋणों से पर्याप्त वित्त पोषित निकाय/प्राधिकरण के प्राप्ति एवं व्यय तथा (ii) किसी निकाय अथवा प्राधिकरण जहाँ इन निकाय अथवा प्राधिकरण को राज्य की संचित निधि से एक वित्तीय वर्ष में ₹ एक करोड़ से कम का अनुदान अथवा ऋण प्रदत्त न हो के प्राप्ति एवं व्यय की लेखापरीक्षा।

1.5 लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन

लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया को निम्न फ्लोचार्ट दर्शाता है:

रेखा–चित्र 1.1: लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की तैयारी

प्रत्येक ईकाई की अनुपालन लेखापरीक्षा पूर्ण होने के उपरांत, निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करते हुये ईकाई प्रमुख को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्राप्ति के एक माह के अंदर उत्तर प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ जारी किया जाता है। जब उत्तर प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष या तो निराकृत हो जाते हैं या अनुपालन के लिये आगामी कार्यवाही करने की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में उल्लेखित महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों, जिन पर शासन में उच्चतम स्तर पर ध्यान देने की आवश्यकता है, प्रतिक्रियाओं पर समुचित विचारोपरांत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संभव समावेश के पूर्व प्रारूप कंडिकाओं के रूप में शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में संभव समावेश के पूर्व, विशिष्ट मुद्दों, विषयों, योजनाओं पर अनुपालन लेखापरीक्षा एवं निष्पादन लेखापरीक्षा के प्रारूप भी शासन को उनकी प्रतिक्रिया के लिये जारी किये जाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत ये लेखापरीक्षा प्रतिवेदन मध्य प्रदेश के राज्यपाल को राज्य विधान सभा के पटल पर प्रस्तुत करवाने हेतु सौंपे जाते हैं।

1.6 लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर विभागों की प्रतिक्रिया

1.6.1 पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदनों पर प्रतिक्रिया

कार्यालय प्रमुख एवं अगले उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित प्रेक्षणों पर प्रतिक्रिया देना तथा उचित सुधारात्मक कार्यवाही करना आवश्यक है। निरीक्षण प्रतिवेदनों में संसूचित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर आवधिक अंतरालों पर जिला/राज्य स्तर पर प्रधान महालेखाकार के कार्यालय के अधिकारियों की संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में भी चर्चा होती है।

मार्च 2020 की स्थिति में, पूर्व वर्षों से संबंधित 11,953 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 42,154 कंडिकायें निराकरण हेतु लंबित थीं जैसा नीचे वर्णित है। इनमें से, 1,153 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाहित 6,956 कंडिकाओं (16.50 प्रतिशत) के संबंध में प्रारंभिक उत्तर प्राप्त नहीं हुये थे। विभागवार विवरण ***परिशिष्ट 1.1*** में दिया गया है।

तालिका–1.2

वर्ष	31 मार्च 2020 की स्थिति में निराकरण हेतु लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं की संख्या		31 मार्च 2020 की स्थिति में निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकायें जिन पर प्रारंभिक उत्तर भी प्राप्त नहीं हुये हैं।	
	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकायें	निरीक्षण प्रतिवेदन	कंडिकायें
2014–15 एवं पूर्व वर्षों में	7,740	20,581	162	610
2015–16	1,030	4,450	162	806
2016–17	1,354	6,284	240	1,443
2017–18	1,161	6,344	299	1,967
2018–19	668	4,495	290	2,130
योग	**11,953**	**42,154**	**1,153**	**6,956**

स्रोतः कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश द्वारा संधारित अभिलेख

निरीक्षण प्रतिवदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर कार्यवाही की कमी इन प्रतिवेदनों में इंगित की गई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को बनाये रखने के जोखिम को दर्शाता है। इसके परिणामस्वरूप शासकीय प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण की कमी, सार्वजनिक वस्तुओं/सेवाओं का अक्षम एवं अप्रभावी प्रदाय,

कपट, भ्रष्टाचार एवं शासकीय कोष को नुकसान हो सकता है। इसलिये, राज्य शासन को इन निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा कंडिकाओं की समीक्षा करने के लिये एवं इनमें चिन्हित प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करने के लिये एक उपयुक्त तंत्र स्थापित करने की आवश्यकता है।

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रेक्षणों पर शासन की प्रतिक्रिया

सभी विभागों को नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित किये जाने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर इनकी प्राप्ति के छः सप्ताह[7] के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करना आवश्यक है। वर्ष 2019–20 के दौरान, पाँच प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकायें संबंधित विभागों[8] के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिये एवं छः सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया प्रेषित करने के अनुरोध के साथ प्रेषित किये गये थे। यह उनके वैयक्तिक ध्यान में लाया गया था कि इन कंडिकाओं को भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, जिसे राज्य विधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा, में शामिल किया जाना है एवं लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/प्रतिक्रियाओं को शामिल किया जाना वांछनीय होगा। इसके बावजूद, इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने के दिनांक तक, दो प्रारूप अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर गृह विभाग एवं जनजातीय कार्य विभाग ने उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। शासन की प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होने संबंधी तथ्य को शासन के मुख्य सचिव के संज्ञान में भी अगस्त 2020 में लाया गया था। शासन की प्रतिक्रियायें, जहां कहीं भी प्राप्त हुईं, उनको उचित रूप से प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।

1.6.3 पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासनिक विभागों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर उनके राज्य विधान सभा में प्रस्तुत होने के तीन माह[9] के भीतर, की गई अथवा प्रस्तावित कार्यवाही को अंकित करते हुये व्याख्यात्मक टिप्पणी प्रस्तुत करना आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिये, विभागों को लोक लेखा समिति से किसी सूचना अथवा मांग की प्रतीक्षा करना आवश्यक नहीं है। 31 मार्च 2020 की स्थिति में, वर्ष 2016–17 तक के सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित सभी कंडिकाओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हो गई थी।

1.6.4 लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर शासन की प्रतिक्रिया

प्रशासकीय विभागों को लोक लेखा समिति की सिफारिशों पर प्राप्ति के दिनांक से छः माह[10] के भीतर कार्यवाही टिप्पणी (ए.टी.एन.) प्रस्तुत करना आवश्यक है। मार्च 2020 की स्थिति में, 13 विभागों के संबंध में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की 37 कंडिकाओं पर 23 ए.टी.एन. अप्राप्त थे। विवरण ***परिशिष्ट 1.2*** में दिया गया है।

---

7 लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियम 2007 की कंडिका 207 के अनुसार।

8 गृह विभाग; योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग; खेल एवं युवा कल्याण विभाग तथा जनजातीय कार्य विभाग।

9 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.30 के अनुसार।

10 भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर राज्य शासन की प्रतिक्रिया की समीक्षा करने के लिये नियुक्त उच्चाधिकार समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 4.33 के अनुसार।

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर वसूली

कार्यालय जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी, रायसेन के अभिलेखों[11] की नमूना जाँच (जनवरी 2019 तथा अगस्त 2019) में पाया गया कि विधायक निधि योजना एवं सांसद स्वेच्छानुदान[12] के हितग्राहियों को भुगतान की गई राशियों से संबंधित देयकों की रोकड़ पुस्तिका एवं देयक पंजी में की गई प्रविष्टयों का कोषालय वाउचर स्लिपों से मिलान नहीं किया गया था। आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डी.डी. ओ.) ने देयकों को प्रस्तुत करने से पूर्व हितग्राहियों के बैंक खाता विवरणों की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया और न ही उसने देयकों के पारित होने के पश्चात ई–भुगतान की राशियों तथा ई–भुगतान के बैंक विवरणों को सत्यापित किया। आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने अपने लॉगिन पासवर्ड की गोपनीयता को भी सुनिश्चित नहीं किया तथा उसे डाटा एण्ट्री आपरेटर (डी.ई.ओ.) के साथ साझा किया। इससे डी.ई.ओ. के लिये, जो एक संविदा कर्मचारी था, हितग्राहियों के नाम के साथ अपने व्यक्तिगत बैंक खाते एवं अपनी पत्नी, भाई तथा अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों/संस्थाओं/गैर–शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) के बैंक खातों को जोड़ना सुगम हो गया। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) में देयकों को अपलोड करते समय, डी.ई.ओ. ने वास्तविक हितग्राहियों/क्रियान्वयन अभिकरणों के प्रणाली में पंजीकृत बैंक खाता संख्या को अपने तथा अपने परिजनों के बैंक खाता संख्या से प्रतिस्थापित कर दिया। इस प्रकार अपात्र व्यक्तियों को भुगतान किये जाने के परिणामस्वरूप ₹97.06 लाख का गबन हुआ।

लेखापरीक्षा आपत्ति के सम्बंध में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ने बताया (फरवरी 2020) कि सम्पूर्ण आक्षेपित राशि की वसूली की जा चुकी है तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा लेखापाल द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही को दृष्टिगत रखते हुये उनके विरूद्ध विभागीय जांच संस्थापित कर आरोप–पत्र जारी किया गया है। विभाग ने जनवरी 2021 में संविदाकर्मी डी.ई.ओ. के विरूद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन (एफ.आई.आर.) दर्ज कराई है।

लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि यह सुनिश्चित करने के लिये कि हितग्राहियों के आवश्यक विवरण आधार के माध्यम से बैंक खाते के साथ अधिप्रमाणित हों तथा केवल अधिकृत व्यक्तियों की ही प्रणाली (सिस्टम) तक पहुंच हो, राज्य शासन द्वारा उपयुक्त वैधीकरण नियंत्रणों (वेलीडेशन कंट्रोल्स) को आई.एफ.एम.आई.एस. में समाविष्ट किया जाना चाहिये। राज्य शासन द्वारा सिस्टम के उपयोगकर्ताओं द्वारा बरते जाने वाले सुरक्षात्मक उपायों (जैसे पासवर्ड साझा न करना आदि) के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने तथा यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि निर्धारित समयान्तराल पर सिस्टम का सुरक्षा ऑडिट कराया जाय।

1.8 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षण

यह प्रतिवेदन ***'खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन'*** के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश शासन के चार विभागों[13] के लेखों एवं लेन–देनों की नमूना जाँच

---

[11] लेखापरीक्षा संवीक्षा के दौरान जाँचे गये कुल 1806 प्रकरणों (मार्च 2015 से जुलाई 2019 तक की अवधि से संबंधित) में से 66 प्रकरणों में अपात्र व्यक्तियों को अनाधिकृत अंतरण अवलोकित किया गया।

[12] विधायकों/सांसदों द्वारा की गई अनुशंसाओं के आधार पर इन योजनाओं की मार्गदर्शिका में विनिर्दिष्ट चिकित्सीय इलाज, शिक्षा एवं अन्य विभिन्न उद्देश्यों हेतु हितग्राहियों (व्यक्तियों/संस्थानों) को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु योजनायें।

[13] गृह, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, खेल और युवा कल्याण एवं जनजातीय कार्य

से उद्भूत चार अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं से संबंधित लेखापरीक्षा निष्कर्षों को समाहित करता है।

प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों का सार नीचे दिया गया है।

1.8.1 *खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 का क्रियान्वयन*

खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 मानव उपभोग के लिए सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य के उत्पादन, भंडारण, वितरण, विक्रय एवं आयात को नियंत्रित करता है। इसके क्रियान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने प्रकट किया कि मौजूदा विधिक ढाँचा में कमी थी क्योंकि मध्य प्रदेश शासन ने फरवरी 2020 तक अपीलीय एवं गंभीर प्रकरणों के क्रमशः जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित रहने में वृद्धि के बावजूद पृथक खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण एवं अपराधों की सुनवाई के लिए पृथक विशेष या साधारण न्यायालयों की स्थापना नहीं की जैसा कि अधिनियम/नियमों के तहत आवश्यक था। प्रशासकीय तंत्र में भी कमी थी क्योंकि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण के लिए आवश्यक खाद्य सुरक्षा, आयुक्त, अभिहित अधिकारियों इत्यादि सहित सभी महत्वपूर्ण पद अतिरिक्त प्रभार के रूप में धारित किए गये थे। आगे विभिन्न स्तरों पर मानव शक्ति की 61 प्रतिशत की कमी ने विभाग के सर्वेक्षण करने, खाद्य कारबार कर्ताओं का निरीक्षण करने को प्रभावित किया; जो अधिनियम के अनुपालन की सुनिश्चितता के लिए महत्वपूर्ण था। विभाग अधिनियम के अंतर्गत अधिरोपित अर्थदण्ड की राशि ₹3.64 करोड़ की वसूली सुनिश्चित नहीं कर सका और दोषी खाद्य कारबार कर्ताओं के विरूद्ध राजस्व वसूली प्रमाणपत्र की कार्यवाही भी आरंभ नहीं कर सका। अन्य मुद्दे, खाद्य कारबार कर्ताओं का डाटाबेस संधारित नहीं करना, लाइसेंस/पंजीयन के आवेदन का लंबित रहना, उचित मूल्य की दुकानों, मदिरा दुकानों के कारबार कर्ताओं द्वारा बिना लाइसेंस के संचालन किया जाना, कम संख्या में नियामक नमूने लिया जाना एवं विश्लेषण किया जाना तथा निगरानी नमूनों के विश्लेषण में कमी देखी गई। खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य के लिए एक मजबूत परीक्षण की आधारिक संरचना का होना स्वभाविक है। तथापि, राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल को सूक्ष्मजैविकी सम्बन्धी परीक्षण के लिए पूरी तरह उन्नयित नहीं किया गया और इंदौर एवं उज्जैन की खाद्य प्रयोगशालाओं का उन्नयन भी नहीं किया गया जिसने खाद्य विश्लेषण के कार्य को प्रभावित किया। विभाग ने राज्य के तीन स्थानों पर लेवल 2 के खाद्य प्रयोगशालाओं को स्थापित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। राज्य स्तर पर खाद्य सुरक्षा आयुक्त और जिले स्तर पर अभिहित अधिकारियों ने वैधता समाप्त हो चुके लाइसेंस/पंजीयन सुनिश्चित करने के लिए खाद्य लाइसेंसिंग और पंजीयन प्रणाली सॉफ्टवेयर से दोषी कारबार कर्ताओं की सूची नहीं निकाली।

(अध्याय 2)

1.8.2 खेल अधोसंरचना का निर्माण, संधारण और उपयोग

विभाग की खेल नीति, 2005 में पाँच वर्षों के भीतर प्रत्येक गाँव में एक खेल मैदान विकसित करने का लक्ष्य था। हालांकि, विभाग 2005–19 के दौरान राज्य में 54,903 गाँवों के विरूद्ध अपने स्तर पर मात्र 253 खेल मैदानों का ही निर्माण कर सका, जो कि विभागीय प्रयासों की अपर्याप्तता या खेल नीति के अवास्तविक लक्ष्य को दर्शाता है। 2014–19 के दौरान, विभाग ने 15 आदिवासी बहुल जिलों में एक भी खेल अकादमी की स्थापना नहीं की; यद्यपि इसने अपनी खेल नीति में जनजातीय जनसंख्या की छिपी हुई प्रतिभाओं का पता लगाने हेतु उपाय करने की बात कही थी और जनजातीय उप योजना के तहत ₹36.41 करोड़ व्यय किया। विभाग ने अपने अनुबंधों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन नहीं किया क्योंकि इसने निर्माण के लिए समय–सीमा निर्धारित नहीं की अथवा क्रियान्वयन एजेंसियों के विरूद्ध क्षतिपूर्ति हर्जाना,

अर्थदंड या शास्ति इत्यादि के प्रावधान निर्धारित नहीं किये थे। विभिन्न मामलों में विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति और एजेंसियों को निधि जारी करने में विलम्ब किया, जो खेल अधोसंरचनाओ के समय पर निर्माण न होने का कारण बना। अधूरे कार्यों, खेल मैदान की खराब स्थिति, मिनी स्टेडियम को न सौंपे जाने, आवश्यक उपकरणों की खरीदी न होने, कर्मचारियों की अनुपलब्धता और खेल उपकरणों का संस्थापन नहीं होने के कारण खेल अधोसंरचना अनुपयोगी रही। विभाग ने प्रशिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती और संधारण कर्मचारियों को कार्य पर लगाये जाने में सामंजस्य नहीं किया जिससे राज्य में खेल अकादमियों का या तो उपयोग नहीं हुआ या क्षमता से कम उपयोग हुआ। 18 खेल अकादमियों में प्रशिक्षकों की कमी 65 प्रतिशत तक थी।

(कंडिका 3.1)

1.8.3 गृह (पुलिस) विभाग में मानव संसाधन प्रबंधन

गृह (पुलिस) विभाग का कार्य कानून और व्यवस्था, सार्वजनिक शांति बनाए रखना, नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को सुरक्षित बनाए रखना और अपराधों की रोकथाम और पता लगाना है। इन उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के लिए, मानवशक्ति की आवश्यकताओं और उनके कुशल, प्रभावी और विवेकपूर्ण उपयोग को निर्धारित करने के लिए एक सुदृढ़ प्रणाली की आवश्यकता है। विभाग विभिन्न संवर्गों में 26,536 (20.68 प्रतिशत) रिक्तियों के साथ संघर्षरत रहा, लेकिन इसने मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल को भर्ती के लिए माँग प्रेषित करने में विलम्ब किया। कुछ थानों को छोड़कर, अधिकांश थाने मानवशक्ति की कमी के कारण अशक्त थे जबकि, पुलिस लाइनों में स्वीकृत मानवशक्ति से 37.67 प्रतिशत अधिक कर्मचारी थे। अपराध दर और मानवशक्ति की तैनाती के बीच सह–संबंध ने पुष्टि की कि अपराध उन क्षेत्रों में कम किए गए जहाँ पुलिस की उपस्थिति अधिक थी और पुलिस की तैनाती में कमी के कारण उन क्षेत्रों में अपराध दर में वृद्धि प्रदर्शित हुई। पुलिस प्रशिक्षण शाला, भौरी, भोपाल और पुलिस अस्पताल, शिवपुरी पद रिक्त होने के कारण संचालित नहीं हो सके। विभाग, अति विशिष्ट व्यक्तियों के लिए सुरक्षा गार्डों के प्रावधान को विनियमित करने और गैर–आवश्यक सुरक्षा को बंद करने में भी विफल रहा, जिससे पहले से ही अत्यधिक बोझ से दबे पुलिस बल पर और दबाव पड़ा।

(कंडिका 3.2)

1.8.4 निष्फल व्यय

जल आपूर्ति हेतु नगर पालिक निगम, रीवा से अनुमति प्राप्त किये बिना ओवरहेड टैंक का निर्माण किये जाने के परिणामस्वरूप ₹60.18 लाख का निष्फल व्यय हुआ तथा ₹27.64 लाख की राशि अवरूद्ध रही।

(कंडिका 3.3)

1.8.5 संदिग्ध कपटपूर्ण आहरण

विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, उदयगढ़, अलीराजपुर और उप कोषालय, जोबट, अलीराजपुर के कर्मचारियों द्वारा ₹16.43 करोड़ का कपटपूर्ण आहरण।

(कंडिका 3.4)

1.9 अभिस्वीकृति

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा–प्रथम), मध्य प्रदेश, ग्वालियर राज्य शासन के अधिकारियों विशेषकर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा लेखापरीक्षा के दौरान प्रदान किये गये सहयोग एवं सहायता के लिये आभार प्रकट करता है।